	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	हुक्म की तामील में जारी हुये
	वगैरह - चमेली vs सुरजभान	
	मुकदमा नम्बर 81/15 अ.व.	
18/6/18	आज यह पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार कैम्प लालपुर में पेश हुई। पक्षकार वादी उपस्थित को गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह प्रकरण वादिया द्वारा विवादित आराजियात मद नं 1 A में एवं 1 B में वर्णित आराजी में अपने पिता जनवेद के हिस्से में से अपने आप को 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित करने हेतु दावा पेश किया है। जिसमें यह कथन किया है कि विवादित आराजी 1 A में वर्णित आराजी में वादिया के पिता तथा खातेदार थे इसलिए वादिया का 1/6 हिस्सा तथा प्रतिवादीगण 1 ता 5 का संयुक्त रूप से 2/3 हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 3 ता 10 जनवेद जिनके भाई है तथा जो पौत्र पौत्री एवं जनवेद के भाई का हिस्सा संयुक्त रूप 1/6 हिस्सा है। इसी प्रकार विवादित आराजी मद नं 1 B में वर्णित आराजी पर वादिया का पिता का 1/3 हिस्सा है। इसलिए इस आराजी में वादिया का 1/18 हिस्सा, प्रतिवादी सं 1 ता 5 का संयुक्त रूप से 4/9 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 6 ता 10 का संयुक्त रूप से 1/18 हिस्सा जनवेद की मृत्यु के बाद प्राप्त हुआ है। जो इसी अनुरूप विवादित आराजी में खातेदार काश्तकार घोषित करा जाने के अधिकारी है। दावा दायरी से करीब 1 माह पूर्व जब वादिया फसल का अपना हिस्सा आदि लेने गयी तो उन्होंने आना कानी की, जबरदस्ती साफ हिसाब माँगने पर प्रतिवादीगण क्रोधित हो गये और कहा कि तुम्हारा नाम जमीन में नहीं है अतः आगे तुम्हें कोई हिस्सा नहीं देंगे एवं जबरदस्ती की तो जमीन कुर्क कर देंगे। तब वादिया ने रकम रिकार्ड देखा एवं उसे ज्ञात हुआ कि जनवेद की विरासत नामान्तरकरण में वादिया का नाम अंकित नहीं है। जिसके तब वादिया ने अपने अधिकार हेतु विवादित	

...खण्ड अधिकारी

आरौली मे जनवेद का 1/6 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कराने हेतु यह दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब दावा मे वादपत्र के कथनो को स्वीकार किया है तथा दावा डिक्री करने की बात कही है।

हमने मामले आज मे चर्चा एवं पक्षकार को तथा पत्रावली का अवलोकन किया। मामले आज की चर्चा एवं पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादिया जनवेद की पुत्री है। विवादित आराजी जो कि जनवेद की खातेदारी की है, जनवेद की मृत्यु होने पर वादिया स्वयं को उसमें हिस्से की आराजी मे 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने की अधिकारी है। क्योंकि जनवेद के पांच पुत्र है एवं एक पुत्री वादिया है।

अतः आदेश है कि विवादित आराजी खे.नं 395 रकबा 2 बीघा 05 बिस्वा, 457 रकबा 2 बीघा 11 बिस्वा एवं खे.नं 463 रकबा 02 बीघा स्थित ग्राम आरौली वादिया के पिता जनवेद की शामिल खातेदारी की आराजी है उसमें वादिया को 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खा.नं 88 रकबा 01 बीघा 8 बिस्वा, 89 रकबा 01 बीघा 10 बिस्वा एवं खे.नं 192 रकबा 2 बीघा कुल रकबा 5 बीघा 18 बिस्वा स्थित ग्राम आरौली मे वादिया के पिता जनवेद का 1/3 भाग है अतः वादिया को उक्त 1/3 भाग मे से 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। उपरानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरुस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
राजाखेड़ा (धौलपुर)